# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 86/2018 दायरा दिनांक : 08.05.2018

**उनवान**

1 मोहम्मद युनुस । पिसरान अब्दुल हकीम खां, जाति मुसलमान

2 बशीर अहमद । पठान, निवासीगण ग्राम चेनपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1 बलराम आत्मज श्री घासी जी, जाति बंजारा, निवासी ग्राम मिसरोली, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2 शंकर । पिसरान श्री बलराम जी, जाति बंजारा,

3 प्रेम । निवासीगण ग्राम मिसरोली, तहसील छीपाबडोद

4 गोपाल । जिला बारां

5 नन्द जी ।

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता एवं श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 की ओर से अनुपस्थित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.03.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद जिससे वाद संख्या 29/2015/ प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया।

**निर्णय** **दिनांक : 13.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खाते व कब्जे की आराजी पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को समुचित रूप से काश्त नहीं करने दे रहे थे, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का सम्मानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 57 में से 2 बीघा 10 बिस्वा बजानिब पश्चिम वाके मिसरोली, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान जिस पर अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया था।

3 माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर फरमाकर दिनांक 29.09.2014 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण कोई व्यवधान उत्पन्न न करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा न करें तथा मौके की भी स्थिति यथावत बनाये रखे।

4 अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की छायाप्रति बताते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजीयात है। प्रार्थीगण का ही कब्जा है, न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी है तथा वर्तमान में प्रभावी भी है, बताते हुए निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने तथा प्रार्थीगण के नुमाईन्दों से झगडा करने पर आमादा हो गये। यदि मौके पर मौतबीन आसामियान प्रार्थीगण के नुमाईन्दों को नहीं बचाते तो बडी घटना घटित हो जाती।

5 अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वे चाहे खातेदार हैं, चाहे न्यायालय का स्थगन है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगे।

6 प्रार्थीगण मौजा चैनपुरिया के स्थाई निवासी हैं जो विवादित आराजीयात से 13 किमी की दूरी पर है। प्रार्थीगण का हर समय विवादित आराजीयात पर रहना संभव न होने से तथा अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात जहां स्थित है उसी गांव का होना, अप्रार्थीगण का आपराधिक प्रवृत्ति का होना, प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात का समुचित रूप से काश्त कर पाना किसी प्रकार से संभव नहीं रहा है तथा हालात ऐसे उत्पन्न हो गये हैं कि प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक काश्त करना संभव नहीं है। इन तमाम हालात में प्रार्थीगण के लिये नितान्त आवश्यक हो गया है कि विवादित आराजीयात के बाबत रिसीवर मुकर्रर कर उक्त आराजीयात रिसीवर के कब्जे काश्त में दे दी जावे।

7 प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश व प्रार्थीगण के शपथ पत्र तथा मौके पर उपस्थित आसामियान के शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

8 अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बजानिब पश्चिम वाके मिसरोली, तहसील छीपाबडोद के बाबत रिसीवर मुकर्रर फरमाया जाकर उक्त आराजीयात रिसीवर के कब्जे में दी जावे तथा रिसीवर को निर्देश दिये जावे कि आराजीयात के बाबत समुचित काश्त की व्यवस्था करें तथा अराजीयात की काश्त

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मुनाफे से प्राप्त राशि अपने पास सुरक्षित रखते हुए तदानुसार माननीय न्यायालय में विवरण प्रस्तुत करें।

9 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

10 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को समुचित रूप से काश्त नहीं करने दे रहे थे। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए का न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 57 में से 2.10 बीघा बनाजिभ पश्चिम वाके मिसरोली जिस पर प्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इस बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

11 माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान दिनांक 29.09.2014 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण कोई व्यवधान उत्पन्न न करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा न करें और मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

12 अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की सरासर अवहेलना करते हुए दिनांक 27.04.2015 को जब प्रार्थी की ओर से उक्त आराजीयात पर हमेशा की भांति खरार करने गये तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के नुमाईन्दों से उक्त आराजीयात पर खरार नहीं करने दी, तथा आमादा फिसाद हुए। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की छाया प्रति बताते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजीयात है। प्रार्थीगण का ही कब्जा है। न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी है तथा वर्तमान में प्रभावी है, बताते हुए निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थीगण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं माने तथा प्रार्थीगण के नुमाईन्दों को नहीं बचाते तो बडी घटना घटित हो जाती।

13 अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वे चाहे खातेदार हैं, चाहे न्यायालय का स्थगन है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगे।

14 प्रार्थीगण मौजा चैनपुरिया के स्थाई निवासी हैं जो विवादित आराजीयात से 13 किमी की दूरी पर है। प्रार्थीगण का हर समय विवादित आराजीयात पर रहना संभव न होने से तथा अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात जहां स्थित है उसी गांव का होना, अप्रार्थीगण का आपराधिक प्रवृत्ति का होना, प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात का समुचित रूप से काश्त कर पाना किसी प्रकार से संभव नहीं रहा है।

15 वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक काश्त करना संभव नहीं है। इन तमाम हालात में प्रार्थीगण के लिये नितान्त आवश्यक हो गया है कि विवादित आराजीयात के बाबत रिसीवर मुकर्रर कर उक्त आराजीयात रिसीवर के कब्जे काश्त में देने का निवेदन किया है।

16 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम मिसरोली सम्वत 2070–73 पेश की। नकल स्थगन आदेश दिनांक 29.09.2014 एवं बशीर अहमद पुत्र अब्दुल हकीम, मुजीबउर्रहमान पुत्र मोहम्मद युनीस का शपथ पत्र पेश किया।

17 अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में बताया कि वादी के मूल वाद धारा 188 आर टी ए में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया है। प्रकरण तनकीयात में विचाराधीन है। जब तक मूल प्रकरण माननीय न्यायालय से निस्तारण नहीं हो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाता तब तक उपरोक्त प्रकरण सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

18 ग्राम मिसरोली के कृषि भूमि का वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य 23 खसरा नम्बर है तथा कुल रकबा 85 बीघा 4 बिस्वा है तथा इस शामलाती कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 5 ता 8 के अतिरिक्त अन्य शामलाती खातेदार है। जब तक इन 23 खसरा नम्बरान व कुल रकबा 85 बीघा 4 बिस्वा शामलाती कृषि भूमि का पृथक पृथक माननीय न्यायालय से विधि पूर्वक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक इन खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 57 के मामले में कृषि भूमि को विधिक रूप से रिसीवर नहीं किया जा सकता।

19 बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि धारा 188 आर टी ए का वाद पेश किया है, जिसमें खसरा नम्बर 57 की 26.03 बीघा पर वादी व तरतीबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इसी आराजी में से पश्चिम दिशा की ओर 2.10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी कम 1 ता 5 मेरी आराजी में शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने लगे क्योंकि यह भूमि मिसरोली, तहसील छीपाबडोद है। मैं मिसरोली के साथ साथ मौज चैनपुरिया में भी रहता हूं, जमीन व निवास दोनों ग्रामों में है। लेकिन अधिकाशतः मैं चैनपुरिया में रहने के कारण प्रतिवादीगण मेरी उक्त 2. 10 बीघा भूमि पर दखल करता है। मैंने विपक्षी प्रतिवादीगण को मना किया, निवेदन किया, मेरी जमीन में दखल अंदाजी नहीं करें। चूंकि उनकी जमीन भी मेरी जमीन से लगी हुई है। इसी का नाजायज फायदा उठाकर दखल अन्दाजी करने लगे।

20 इसी बात को लेकर दावा पेश किया है कि खसरा नम्बर 57 की पश्चिमी तरफा 2.10 बीघा आराजी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें। कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें, बाउन्ड्री को नहीं तोडे। प्रतिवादीगण द्वारा मेरे कहने के बावजूद नहीं मानने पर दावा 188 आर टी ए का पेश किया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

21 वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. ए. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिमी तरफ पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करें। विपक्षी पार्टी ने जवाब पेश किया व जवाब के साथ साथ काउंटर क्लेम पेश करते हुए कहा कि उनकी आराजी 4 बीघा 1 बिस्वा है, जिसका खसरा नम्बर 56 है। उसके बारे में भी निषेधाज्ञा जारी की जावे। मैने जो रिलीफ चाहा है वह खसरा नम्बर 57 का है। खसरा नम्बर 56 का नहीं है। अतः काउंटर क्लेम खसरा नम्बर 57 का ही पेश किया जा सकता है, अन्य किसी आराजी का नहीं। मैंने यह भी निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 56 की जमीन से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेज पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के जवाब व साक्ष्य के मध्यनजर रखते हुए धारा 212 आर. टी. ए. का फैसला दिनांक 26.02.2016 को कर दिया, जिसकी की प्रति न्यायालय में पेश की है। इस निर्णय के पेज नम्बर 3 पर यह निर्धारित कर दिया कि खसरा नम्बर 57 के बाबत ही काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है, अन्य खसरा नम्बर का नहीं।

22 इस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का निर्णय करते हुए मेरे प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. ए. को स्वीकार कर लिया और अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 को पाबन्द कर दिया कि वे मेरे कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखल अंदाजी करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि या अन्य से करावें। अप्रार्थी नम्बर 1 से 5 का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। यह आदेश उभय पक्षों की उपस्थिति में उनके अभिभाषकगण के समक्ष उनकी काउंटर क्लेम के आधार पर पारित किया, जिसका सभी पक्षकारों को ज्ञान था।

23 अप्रार्थी कम 1 से 5 तक के आदेश निर्णित होने के बावजूद उक्त आराजी मेरे कब्जे व खाते की होने व आदेश के जरिये अप्रार्थी कम 1 से 5 बाज नहीं आये। हालात ऐसे हो गये कि मेरा उक्त आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करना दुस्वार हो गया है। मेरे समक्ष परिस्थितियां ऐसी हो गई, जिससे मजबूरन मुझे धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। इन हालात में यह प्रार्थना पत्र पेश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर निवेदन किया कि हालात ऐसे हो गये हैं कि खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिम को वाके माल मिसरोली पर रिसीवर नियुक्त फरमावें। विपक्षी पार्टी द्वारा 212 आर.टी.ए. का जवाब पेश किया। धारा 188 आर.टी.ए. के दावे का काउंटर क्लेम पेश कर दिया है। प्रकरण तनकीयात में है, उक्त सम्बन्ध में कानून में किसी तरह का उल्लेख नहीं मिलता कि प्रकरण तनकीयात में हो तो धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र नहीं किया जा सकता।

24 दूसरा आब्जेक्शन यह लिखित है कि मूल प्रकरण का निस्तारण होने पर धारा 212 (2) आर.टी.ए. का निपटारा हो। यह बिन्दु में वर्णित इनका तर्क भी विधि के अनुरूप तर्कसंगत नहीं है। कानूनी रूप से चस्पा नहीं होता है।

25 तीसरा आब्जेक्शन यह लिया गया कि कुल 85 बीघा 4 बिस्वा भूमि है। उसका बंटवारा होने पर ही धारा 212 (2) आर.टी.ए. चलने योग्य नहीं है। उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि यह तर्क भी चस्पा नहीं होता है। क्योंकि प्रकरण केवल खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिमी दिशा का है।

26 चौथा आबजेक्शन यह है कि समस्त सहखातेदारान का इस आराजी का बंटवारा करने व वाद बंटवारा दावा पेश करना चाहिए था, प्रकरण धारा 188 के इन्जेक्शन को धारा 212 (2) आर.टी.ए. के साथ पढ़ा जावे तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी खातेदार दावा पेश कर सकता है। उक्त आराजी मेरे व तरतीबा प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी है। इसलिए यह आब्जेक्शन मेंटेनेबल नहीं है।

27 आब्जेक्शन नम्बर 5 आब्जेक्शन नम्बर 4 जैसा है जिसका जवाब उपरोक्तानुसार है।

28 आब्जेक्शन नम्बर 6 तंग व परेशान करने हेतु पेश किया है। कथन गलत है। मैं खसरा नम्बर 27 का खातेदार हूं। प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 मेरे कब्जे काश्त में है। कब्जे काश्त में व खातेदारी में बेजा दखल कर रहे हैं। अतः उक्त आब्जेक्शन चलने योग्य नहीं है। उक्त

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र के साथ रेवेन्यु रेकार्ड नकल जमाबंदी पेश किये हैं जो इस बात की पुष्टि करती है कि हम उक्त आराजी खसरा नम्बर 57 के खातेदार हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2016 में पारित निर्णय की नकल भी पेश की है। मैने अपना स्वयं बशीर अहमद का शपथ पत्र पेश किया है, जो दावे व प्रार्थना पत्र के एवं कोर्ट की आर्डरशीट से ताहिदकर्ता है और अधिक ताहिद करने हेतु मेरे ड्राईवर भंवरलाल पुत्र कालूलाल भील का शपथ पत्र पेश किया। जिसने ताहिद किया कि जब मैं ट्रेक्टर लेकर खरार करने गया तो अप्रार्थीगण हाथों में शस्त्र लेकर आये और धमकी दी कि यह भूमि हम किसी भी सूरत में काश्त नहीं करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 मेरी आराजी में दखल अन्दाजी करते हैं। मैंने मुजबीउर्रहमान का भी शपथ पत्र पेश किया है कि मेरे खाते व कब्जे की आराजी में काश्त नहीं करने दे रहे हैं। हालात ऐसे हो गये कि मेरा काश्त कर पाना दूभर हो गया। मुझे अंदेशा है कि अगर इस प्रकरण में रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया या तो अप्रार्थीगण कभी भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। क्षेत्र में हालात सामान्य रहे, मौके पर शांति बनी रहे, मेरे कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं हो, मुझे जानमाल का खतरा नहीं रहे। इस हेतु पुरजोर निवेदन है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिमी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे।

29 प्रस्तुत प्रकरण से चस्पा होने वाले राजस्व न्यायालयों व अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रमाण आये उनमें जो व्यवस्था दी उनका विवरण निम्नानुसार है। आर आर डी 1986 पेज 622 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर रामगोपाल बनाम नारायण ने कहा कि धारा धारा 212 (2) आर.टी.ए. रिसीवर का आदेश में कहा कि जब यथास्थिति का आदेश दिया गया है कि मेरा पैरा नम्बर 5 में विस्तृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया। जब टी.आई. जारी हो गयी तो इसका आदेश का सम्मान करना सभी पक्षों के लिए जरूरी है अथवा रिसीवर नियुक्त होगा। आर आर डी 1989 पेज 3 चावला बनाम रहमान, आर बी जे 2011 पेज 763 आर आर टी 2001 पेज 81, आर आर टी 2003 पेज 110, आर आर टी 2008 पेज 211, आर एल डब्ल्यू 2012 वोल्यूम ।। पेज 1202 उन्होंने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भी व्यवस्था दी है कि उपरोक्त परिस्थितियां जब न्यायालय द्वारा जारी स्थगन पालना नहीं की जा रही हो तो रिसीवर का आदेश विधि सम्मत है। अतः खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिमी पर दावे के निर्णय तक रिसीवर फरमावें।

30 बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि इन्होंने जो प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर.टी.ए. पेश किया, वह स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है। प्रश्न यह है कि खसरा नम्बर 57 पर रिसीवर किया जावे या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि प्रतिवादी अप्रार्थी 1 से 5 कि खातेदारी की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने धारा 188 के दावे की प्रति पेश नहीं की । काउंटर क्लेम की प्रति पेश नहीं की है। काउंटर क्लेम के जवाबुलजवाब की प्रति पेश नहीं की है। जब धारा 212 आर.टी.ए. का निर्णय किया तो रिसीवरी प्रार्थना पत्र की प्रति पेश नहीं की, कोई कोपी पेश नहीं की है। इसके पेश नहीं करने के पीछे इनका स्वच्छ हाथों से नहीं आना साबित है। अगर यह सब प्रस्तुत कर देते तो इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर धारा 212 (2) आर.टी.ए. प्रस्तुत करना था, तो इनको पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी, जो रिसीवरी का प्रार्थना पत्र पेश किया व अप्रार्थी कम 1 से 5 के विरूद्ध किया है।

31 मद नम्बर 2 में उन नम्बरों का जिक्र नहीं किया जो जमाबंदी में दर्ज है। जबकि जमाबंदी में कुल 85 बीघा 4 बिस्वा भूमि है। प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिम का पेश किया। इसका क्या सबूत है कि आपकी आराजी 2 बीघा 10 बिस्वा है। भूमि शामलाती है तथा कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा है। 2.10 बीघा पश्चिमी का निर्धारण बिना खाता विभाजन नहीं किया जा सकता है।

32 मद नं. 3 में यह स्पष्ट कर दिया है कि अप्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 56 रकबा 4.01 बीघा है। जिस पर पत्थर का कोट हो रहा है, जो जमाबंदी में है। आपकी निगाहे खसरा नम्बर 56 पर कैसे कब्जा किया जावे हम गरीब कमजोर आदमी है। रिसीवर की आड में हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरी जमीन खसरा नम्बर 56

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 4.01 बीघा जो मेरे कब्जे काश्त में है, उसको हडपना चाहते हैं। खसरा नम्बर 57 जो प्रार्थी ने अपना बताया था, उसमें पत्थर का कोट का कहीं भी प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं है। इनके खसरा नम्बर 57 का कुल रकबा 26.04 बीघा है। बिना विधिवत बंटवारा हुए प्रार्थी यह कैसे कह सकता है कि खसरा नम्बर 57 रकबा 2.10 बीघा पश्चिमी भूमि इनकी कैसे हो गई।

33 बिना बंटवारे के हर इंच पर सभी सहखातेदारों का कब्जा काश्त व हिस्सा माना जावेगा। इन्होंने जवाबुलजवाब दिया जिसमें भी इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि खसरा नम्बर 57 में पत्थर का कोट हो रहा है। खसरा नम्बर 56 जो मेरा है, उसमें पत्थर का कोट है। खसरा नम्बर 57 रकबा 26.04 बीघा शामलाती है। बंटवारा नहीं हुआ है। इनका प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर.टी.ए.चलने योग्य नहीं है।

34 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2014 को धारा 212 का निर्णय किया। उस निर्णय की प्रति भी पेश नहीं की, इससे पत्रावली में कुछ भी नहीं है। न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। जिस प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. के निर्णय का आधार ले रहे हैं। उसकी नकल भी सलंग्न होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. में क्या निर्णय हुआ। इसके तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। धारा 212 आर.टी.ए. की बहस में इन्होंने कहा कि अप्रार्थीगण को काउंटर क्लेम पेश करने का अधिकार नहीं है। चाहे तो अलग से दावा पेश कर सकते हैं। यह उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय में लिखा है। इस आधार पर मेरा काउंटर क्लेम खारिज हो गया, जबकि मैंने यह बात 2014 में जब काउंटर क्लेम पेश किया, उसमें ही लिख दिया था कि मेरा पत्थर का कोट को डिस्टर्ब या नष्ट नहीं करें। मैंने धारा 212 आर.टी.ए.के निर्णय की पालना में ही अलग से दावा पेश किया। इसके साथ धारा 212 आर.टी.ए. प्रार्थना पत्र बलराम बनाम मोहम्मद युनीस पेश किया, जिसमें श्रीमान के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया। स्थगन आदेश बदस्तूर है, जिसकी पत्रावली आज फाईनल बहस हेतु है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

35 प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में सभी तथ्य अंकित है। इसी प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. में अंकित किया कि मेरी खसरा नम्बर 56 की आराजी 4.01 बीघा पर जबरन कब्जा नहीं करें व बेदखल नहीं करें। प्रार्थना पत्र का जवाब इन्होंने पेश किया। इनके जवाब के मद नं. 5 में लिखा कि दावा स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया। जब इनको स्टे लेना था तब अलग बात और प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर.टी.ए. रिसीवरी में अलग बात इन्होंने मद नं. 5 में लिखा कि प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते, जबकि काउंटर क्लेम में कहा था, पृथक से पेश करें। इस प्रकार विरोधाभासी है। मैं खातेदार हूं, खसरा नम्बर 56 पत्थर का कोट हो रहा है। स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश किया है। दस्तावेजात की नकले पूर्व के अनुसार प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर. टी.ए. में इन्होंने 2.10 बीघा पश्चिमी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है कि इन्होंने बिना बंटवारे के प्रार्थना पत्र पेश किया है और बिना दस्तावेज किया है। अतः प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

36 खसरा नम्बर 57 मेरा नहीं है। खसरा नम्बर 57 इनका है, परन्तु शामलाती है। बिना बंटवारे 2.10 बीघा भूमि पश्चिमी की आड में मेरे खाते व कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। खसरा नम्बर 57 की रिसीवरी चाहते हैं, तो पूरी जमीन की रिसीवरी करे। प्रार्थना पत्र समस्त खातेदारों ने पेश नहीं किया है। अकेले प्रार्थी ने पेश किया है। बिना बंटवारे के पश्चिमी दिशा में काबिज बताना विधिवत नहीं है। मेरे खसरा नम्बर 56 रकबा 4.01 बीघा जिसमें पत्थर का कोट हो रहा है, उसको छोड़ कर शेष जमीन जो यह चाहे रिसीवरी करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरी आराजी में दखल अंदाजी नहीं करें।

37 बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रेकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मिसरोली सम्वत 2070–73 खाता संख्या 98 के अनुसार कुल खसरा नम्बर 23 रकबा 85.04 बीघा मोहम्मद यूनुस, बंशीर अहमद पुत्र लाड बाई, ममनून बाई पुत्रियां अहिल्या बाई बेवा अब्दुल हकीम सलमा बेगम पत्नि सिराज अहमद जहाआरा पत्नि रईस अहमद अरफाना बेगम पत्नि

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सलीम अहमद, सिद्धिक पुत्र ताज मोहम्मद के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की है। प्रतिवादी कम 1 ता 5 उक्त आराजीयात के सहखातेदार नहीं है। विवादित आराजी वादी एवं तरतीबा प्रतिवादी कम 6 ता 9 के शामलाती खातेदारी की है। पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा नहीं कराया है, प्रत्येक भूमि पर सभी सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, तब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता। विवादित भूमि प्रार्थी एवं तरतीबा अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 विवादित भूमि के सहखातेदार नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थी को खसरा नम्बर 57 में से 2.10 बीघा पर रिसीवर नियुक्त कराने का क्या आवश्यकता है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। यदि विवादित भूमि पर प्रार्थी व तरतीबा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तो सबसे पहले विवादित भूमि का समस्त सहखातेदारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन कराकर अलग अलग खाते दर्ज करवाया जावे। उसके बाद ही प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराया जाना संभव है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

38 उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.ए.चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

39 **इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

40 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

41 अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर चलने योग्य नहीं होना मानकर खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

42 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादीगण अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण अपीलांट्स वाद विषयक भूमि खसरा नम्बर 57 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पश्चिम दिशा के तन्हा खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट के पक्ष में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध दिनांक 29.09.2017 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करें और मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

43 प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादी रेस्पोडेंटस उपरोक्त आराजीयात में वादीगण अपीलांट्स के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त कारण से वाद विषयक आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाना चाहिए था।

44 प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स का अपील विषयक आराजीयात पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है। उपरोक्त आराजीयात में वादीगण अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाना चाहिए था।

45 वाद विषयक भूमि वादीगण अपीलांट्स एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के शामलाती खाते की नहीं है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट वादगस्त भूमि के सहखातेदार नहीं है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट का वाद विषयक भूमि पर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलांट्स खातेदार की प्रार्थना पर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाना चाहिए था।

46 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित किया गया है कि पहले विवादित भूमि का सहखातेदारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन कराकर अलग अलग खाते दर्ज करवाये जावे, उसके बाद ही वादीगण अपीलांट्स अपने खाते की भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराया जाना संभव है।

47 विकल्प में यह भी निवेदन है कि सहखातेदारी की भूमि पर भी रिसीवर नियुक्त कराये जाने के लिये पूर्व में विभाजन कराया जाना आवश्यक नहीं है। इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है।

48 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर हुक्म जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मिसरोली, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां की खसरा नम्बर 57 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि बजानिब पश्चिम पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

49 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

50 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की :–

1 1973 आर आर डी पेज 171
2 1989 आर आर डी पेज 3
3 2011 आर बी जे पेज 762

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

51 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

52 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है।

53 अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर चलने योग्य नहीं होना मानकर खारिज करने में त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है।

54 वादीगण अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण अपीलांट्स वाद विषयक भूमि खसरा नम्बर 57 की 26 बीघा 03 बिस्वा भूमि के तन्हा खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज काश्तकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है।

55 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मिसरोली के कृषि भूमि का वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य 23 खसरा नम्बर है तथा कुल रकबा 85 बीघा 4 बिस्वा है तथा इस शामलाती कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 5 ता 8 के अतिरिक्त अन्य शामलाती खातेदार है। जब तक इन 23 खसरा नम्बरान व कुल रकबा 85 बीघा 4 बिस्वा शामलाती कृषि भूमि का पृथक पृथक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक इन खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 57 के मामले में कृषि भूमि को विधिक रूप से रिसीवर नहीं किया जा सकता।

56 पक्षकारान ने धारा 188 आर. टी. ए. का वाद पेश किया है, जिसमें खसरा नम्बर 57 की 26.03 बीघा पर वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी शामलाती की है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा कराये रिसीवरी चाहते हैं जबकि रिसीवरी पूरी आराजी की होनी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाहिए। रिसीवरी का प्रार्थना पत्र समस्त खातेदारों द्वारा पेश करना चाहिए ।

57 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड के अवलोकन से नकल जमाबंदी ग्राम मिसरोली सम्वत 2070–73 खाता संख्या 98 के अनुसार कुल खसरा नम्बर 23 रकबा 85 बीघा 04 बिस्वा मोहम्मद यूनुस, बशीर अहमद पुत्र लाडबाई, ममनून बाई पुत्रियां अहिल्याबाई बेवा अब्दुल हमीम सलमा बेगम पत्नि सिराज अहमद, जहाआरा पत्नि रईस, अरफाना बेगम पत्नि सलीम अहमद, सिद्धिक पुत्र ताज मोहम्मद के खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है। प्रतिवादी कम 1 ता 5 उक्त आराजीयात के सहखातेदार नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी कम 6 ता 9 के शामलाती खातेदारी की है।

58 पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं कराया गया है, जबकि वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, जब तक वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं हो जाता, तब तक रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

59 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होता है।

60 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

61 निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा